

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एफबीडी-पीएचडी-जीएचकेएचआरए/सीए/2010/330.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के योजनों नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

## अनुसूची

गांव पहलादपुर माजरा डीग, लाडहोली, फतेहपुर, बिलोच, जवान, पनहेरा खुर्द, पनहेरा कलां तथा गढ़खेड़ा, जिला फरीदाबाद के द-गिर्द अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र के सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एफ०) 2606/09, दिनांक 30 जून, 2009 के साथ पढ़ा गए।

## उत्तर:-

बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव लडहोली (हदबस्त संख्या 70) की आयत संख्या का उत्तर-पूर्व कोना है। तत्पश्चात् पूर्व तथा उत्तर-पूर्व की ओर गांव लडहोली (हदबस्त संख्या 70), गांव पनहेरा खुर्द (हदबस्त संख्या 65) तथा गांव गढ़खेड़ा (हदबस्त संख्या 67) के गांव की राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव गढ़खेड़ा (हदबस्त संख्या 67) की आयत संख्या 1 का उत्तर-पूर्व कोना है।

तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव गढ़खेड़ा (हदबस्त संख्या 67), गांव पनहेरा खुर्द (हदबस्त संख्या 65), गांव पनहेरा कलां (हदबस्त संख्या 64) तथा गांव जवान (हदबस्त संख्या 59) की गांव राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव जवान (हदबस्त संख्या 59) की आयत संख्या 115 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

क्षेत्र: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर जिला फरीदाबाद की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव पहलादपुर माजरा डीग (हदबस्त संख्या 57) की आयत संख्या 20 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

वेम: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर जो हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या एफसीए/एसटीपी/91/पी/46, दिनांक 10 जनवरी, 1991 द्वारा पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।